



राज्य शहरी आजीविका मिशन, (ईस0यू0एल0एम0) उ0प्र0

(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,— सूडा उ.प्र.)

प्रथम तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

दूरभाष एवं फैक्स: 0522-2307798 e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org



पत्रांक: 027/241/एनयूएलएम/तीन/2001(ई0एस0टी0एण्ड पी0)

दिनांक 11/12/15

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
उत्तर प्रदेश।
2. नगर आयुक्त / परियोजना निदेशक / सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर
नगर निगम
आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, बरेली, गोरखपुर,
झाँसी, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ तथा फिरोजाबाद।
3. परियोजना निदेशक / सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर, शहर मिशन प्रबन्धन इकाई
आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, बरेली, गोरखपुर,
झाँसी, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, लोनी, मोदीनगर (गाजियाबाद), अकबरपुर (अम्बेडकरनगर),
अमरोहा, आजमगढ़, बदायूँ बहराइच, बलिया, बांदा, बस्ती, बुलन्दशहर, खुर्जा, सम्मल, चांदौसी,
फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, मुगलसराय, बडौत (बागपत), देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद,
फरुखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोण्डा, हापुड़, हरदोई, हाथरस, उरई, जौनपुर, कासगंज,
लखीमपुरखीरी, ललितपुर, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत,
रायबरेली, रामपुर, शाहजहांपुर, शामली, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव, औरैया, बागपत,
बलरामपुर, नवाबगंज (बाराबंकी), चित्रकूट धाम कर्वी, दादरी (गौतमबुद्धनगर), हमीरपुर, बिजनौर,
कन्नौज, पड़रौना (कुशीनगर), महोबा, मऊ, प्रतापगढ़, खलीलाबाद (संतकबीरनगर),
सिद्धार्थनगर, रार्बटसगंज (सोनभद्र), अमेठी, ज्ञानपुर (भदोही), चन्दौली, अकबरपुर (कानपुर
देहात), मंझनपुर (कौशाम्बी) तथा भिनगा (श्रावस्ती)।

विषय:-EST&P के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों की MIS पर नियमित उपस्थिति के संबंध में।

महोदया / महोदय,

EST&P के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों की MIS पर नियमित रूप से बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश सूडा के पत्रांक—883/241/NULM/तीन/2001(EST&P) दिनांक 08.06.2015 द्वारा जारी किये विस्तृत दिशानिर्देश में दिये गये हैं।

EST&P के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण काये को MIS सिस्टम पर की जा रही मानीटरिंग एवं समीक्षा में देखा गया है कि शहरों में इम्पैनलड कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा नियमित तौर पर प्रशिक्षणार्थियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही है। अगर प्रशिक्षणार्थियों की नियमित तौर पर MIS सिस्टम पर उपस्थिति नहीं दर्ज होगी तो प्रशिक्षणार्थियों का असेसमेन्ट (प्रमाणीकरण) सम्भव नहीं हो पायेगा क्योंकि प्रशिक्षणार्थियों के असेसमेन्ट (प्रमाणीकरण) हेतु प्रत्येक प्रशिक्षणार्थियों की MIS पर न्यूनतम 85% उपस्थिति अनिवार्य है।


कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं और शहरों से यह निरन्तर यह फीडबैक मिल रहा है कि MIS सिस्टम का सर्वर बहुत धीमा है, जिसके कारण प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही है या उपस्थिति दर्ज होने में बहुत समय लग रहा है और कही-कही पर इन्टरनेट की कनेक्टवीटी बहुत ही धीमी है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए और कौशल प्रशिक्षण कार्य को सुचारू रूप से संचालन हेतु निम्नलिखित के अनुसार कार्यवाही की जाये-

1. सर्वर एवं इन्टरनेट धीमा होने के कारण जिस दिन MIS में बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती है तो कौशल प्रशिक्षण प्रदाता उस दिन उपस्थिति को प्रमाणित करते हुए अगले दिन शहर

Q

मिशन प्रबन्धन इकाई/झूडा को लिखित रूप में उपलब्ध कराये ताकि शहर मिशन प्रबन्धन इकाई/झूडा के MIS सिस्टम से उस दिन की उपस्थिति दर्ज की जा सके।

2. शहर मिशन प्रबन्धन इकाई/झूडा को सुनिश्चित करना होगा की अनिवार्य रूप से सभी प्रशिक्षणार्थियों की आन लाइन बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज की जाये। प्रस्तर-1 में दी गई व्यवस्था/सुविधा का तभी उपयोग किया जाये जब आन लाइन बायोमैट्रिक उपस्थिति नहीं दर्ज हो पाये।
3. कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं को MIS में प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति के आधार पर ही भुगतान किया जाये और प्रत्येक कौशल प्रशिक्षण प्रदाता को किये गये बैचवार भुगतान का विवरण शहर के MIS पर अपलोड किया जाये।
4. MIS पर अगर नियमित रूप से प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाने के कारण प्रशिक्षणार्थियों का असेसमेन्ट नहीं हो पायेगा, जिसका पूर्ण जिम्मेदारी कौशल प्रशिक्षण प्रदाता की होगी।
5. प्रशिक्षण कार्य की नियमित अनुश्रवण हेतु शहर मिशन प्रबन्धक एवं सामुदायिक आयोजकों को आवंटित क्षेत्रों के प्रशिक्षण केन्द्रों का नियमित भ्रमण करें एवं गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
6. कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं को किये जाने वाले भुगतान में प्रशिक्षणार्थियों को गतिशील करना एवं MIS की लागत भी सम्मिलित है अतः प्रशिक्षणार्थियों को गतिशील करना एवं MIS पर कार्य (प्रशिक्षणार्थियों को इन्ट्री आदि) कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं से ही कराया जाये।

भवदीय


(शैलेन्द्र कुमार सिंह)

४८
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, नगर विकास और नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०।
3. समस्त परियोजना अधिकारी/ सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभियान, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त शहर मिशन प्रबन्धक।
5. सहायक वेबमास्टर, सूडा उ०प्र० को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।


(शैलेन्द्र कुमार सिंह)

४८
मिशन निदेशक